

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एसीपी/आक्षेप/2019-20

दिनांक: 24.01.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा, .....

रजिस्टर्ड

विषय- प्राध्यापक हिन्दी(स्कूल शिक्षा) एसीपी के आक्षेप के संबध में

उपरोक्त विषय में लेख है कि प्राध्यापक हिन्दी (स्कूल शिक्षा) के एसीपी प्रकरण कार्यालय हाजा के लेखाधिकारी के द्वारा लगाये गये आक्षेप की सूची संलग्न मय विवरण संबधित कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है संबधित आक्षेप की पूर्ति कर भिजवाने की व्यवस्था करे ।

क्र.सं.	संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजभावि)	जन्म दिनांक	जिला	आक्षेप का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ	श्रीमती रमारानी, हनुमानगढ टाउन फोर्ट, हनुमानगढ	28/2/1964	हनुमानगढ	व.अ. स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न करावे, द्वितीय चयनित वेतनमान 01.07.2004 से किस आधार पर स्वीकृत की है स्पष्ट करे ।
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, करौली	मधुसूदन शर्मा, सलावद - नादौली - करौली	12/11/1961	करौली	अध्यापक पद पर स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न करावे, शपथ पत्र मे 01.06.02 अथवा इसके बाद वच्चों की संख्या में वृद्धि हुं । स्पष्ट करे ।, व.अ. के पद पर डीपीसी की प्रति संलग्न करे ।
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा	आनन्दी लाल कोली, डोलिका का बास, दौसा	2/10/1962	दौसा	सीबीईओ कार्यालय द्वारा अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से एसीपी प्रस्तावित करवाकर प्रस्तुत करे । मूल प्रकरण मय सेवा पुस्तिका संलग्न
4	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	हनुमान लहाय रैगर, खोहरी बानसूर - अलवर	4/8/1961	अलवर	एसीपी प्रकरण नियंत्रण अधिकारी (डीईआ-सीबीईईओ) कार्यालय द्वारा एसीपी प्रस्तावित करावे । अध्यापक पद पर स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न करे । मूल प्रकरण मय सेवा पुस्तिका संलग्न
5	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा	अनिल कुमार आर्य, निजामपुर लालसोट - दौसा	12/8/1972	दौसा	कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है प्रथम पदोन्नति के आदेश की प्रति संलग्न करे ।
6	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	नारायणलाल वैरवा, बा0 चाकसू - जयपुर	19/11/1970	जयपुर	सीबीईओ कार्यालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 के अनुसार कर्मचारी का व.अ. के पद पर स्थाईकरण दिनांक 02.01.2000 से किया गया है अर्थात कर्मचारी द्वारा 1.1.1998 करे मध्यान्ह पश्चात कार्यग्रहण किया गया है अतः कर्मचारी को दिया गया प्रथम एसीपी संशोधित कराते हुए द्वितीय एसीपी उसी के अनुसार प्रस्तावित करावे । मूल प्रकरण संलग्न है ।
7	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झुंझूं	कौशल्य भीणा, बा0 गिमी देवी, विसाठ - झुंझूं	15/6/1968	झुंझूं	एसीपी प्रकरण नियंत्रण अधिकारी की अनुषशा के पश्चात भिजवाये । मूल प्रकरण संलग्न है ।

*(Handwritten Signature)*

क्र.सं.	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्म दिनांक	जिला	आक्षेप का विवरण
1	2	3	4	5	6
08	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	कैलाश चन्द्र बलाई, आलोली, कंकडी- अजमेर	11/2/1963	अजमेर	व.अ. के स्थाईकरण के आदेश की प्रति संलग्न करे, सीबीईओ कार्यालय द्वारा एसीपी प्रकरण पूर्ण कर भिजवाये। मूल प्रकरण संलग्न है।
09	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बांसवाडा	सोनाली जोशी, नूतन - बांसवाडा	27/8/1976	बांसवाडा	कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर हुई थी। कर्मचारी द्वारा दो पदोन्नति लाभ कमशः व.अ. व व्याख्याता के पद पर प्राप्त कर चुके है अतः 20वर्षीय एसीपी देय नहीं है। मूल प्रकरण संलग्न है।



सहायक निदेशक(सी-4)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01- संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 02- संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबधित प्राध्यापक के आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण पुनः भिजवाने की व्यवस्था करे।
- 03- सिरस्टन एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 04- संबधित संस्था प्रधान/संबधित कार्मिक
- 05- निर्जा एव रक्षित पत्रावली



सहायक निदेशक(सी-4)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर